रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-02092021-229366 CG-DL-E-02092021-229366

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3291] No. 3291] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 2, 2021/भाद्र 11, 1943 NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 2, 2021/BHADRA 11, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2021

सं. 22 / 2015-2020

विषयः दिनांक 18 दिसम्बर, 2019 की अधिसूचना सं. 36/2015—2020 में व्याख्या को शामिल करने के संबंध में।

का.आ. 3594(अ).—समय—समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015—2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा दिनांक 18 दिसम्बर, 2019 की अधिसूचना सं. 36/2015—2020 में निम्नानुसार व्याख्या को शामिल करती है:

व्याख्याः वाक्यांश ''किसी भी रुप में सोना'' में आईटीसी (एचएस), 2017, अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 71 के तहत, 22 कैरेट्स के उपर किसी भी रुप में सोना शामिल है। ऐसे आयात केवल आरबीआई (बैंकों के मामले में) और डीजीएफटी (अन्य मामलों में) द्वारा यथा-अधिसूचित नामित एजेंसियों द्वारा ही किए जा सकते हैं।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01 / 89 / 180 / 36 / एएम-11 / पीसी-2(ए) / पार्ट-II / ई-1717]

अमित यादव, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

4891 GI/2021 (1)

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd September, 2021

No. 22/2015-2020

Subject: Incorporation of Explanation in Notification No.36/2015-2020 dated 18th December, 2019 - Reg.

S.O. 3594(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 read with Section 5 of FT (D&R) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time-to-time, the Central Government hereby incorporates following explanation in the notification No. 36/2015-2020 dated 18th December, 2019, as under:

Explanation: The expression "Gold in any form" includes gold in any form above 22 carats under Chapter 71 of ITC (HS), 2017, Schedule – I (Import Policy). Such imports can be made only by nominated agencies as notified by RBI (in case of banks) and DGFT (in case of others).

This issues with the approval of Minister of Commerce & Industry.

[F. No. 01/89/180/36/AM-11/PC-2(A)/Part-II/e-1717]

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade & Ex- officio Addl. Secy.